

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1457)/2019/452 दिनांक : 23/7/18

आदेश

श्री राम सिंह जाट, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार (सवाई माधोपुर) जिनकी जन्म तिथि 03.05.1980 है, की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 06.03.2019 को मृत्यु हो जाने के कारण इनकी मृत्यु तिथि 06.03.2019 से इनका नाम राज्य सेवा से विलोपित किया जाता है के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1457)/2019/452 दिनांक : 23/7/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार (सवाई माधोपुर)।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. संबंधित कर्मचारी के आश्रित को क्रम संख्या 4 के।
7. डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर